


18212-19

पत्रावली पेश हुई। वादी व वकील वादी उपस्थित नहीं।
उन्हे रूक-रूक कर बार बार आवाजे लगवाई गई। वे
उपस्थित नहीं आये। ना ही अनुपस्थिती का कोई कारण
हमारे समक्ष पेश हुआ। अतः अन्तर्गत आदेश 9 नियम 3
जाब्ता दिवानी के तहत वादी का यह वाद पत्र अदम
हाजरी / अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तरतीक तकमील
दाखिल दफतर की जावे। बसरे इजलाश सुनाया गया।



(रमेश देव)

उपखण्ड अधिकारी
नोखा

